

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा,
चण्डीगढ़।

घादी क्रमांक 264-स.क.(1)-2021
दिनांक चण्डीगढ़

विषय:- 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' में संशोधन करने व अन्य स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 130-स.क.(1)-2020 दिनांक 27.02.2020 की निरन्तरता में।

2. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य में सभी वर्गों के परिवार, जो "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" में कवर नहीं होते हैं, उनको विवाह की तिथि से 30 दिनों के अन्दर-2 विवाह पंजीकरण करवाएंगे, तो विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिटाई का डिब्बा तथा 1100/- रुपये (ग्यारह सौ रुपये केवल) दिए जाएंगे।

3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जो स्कीमों कार्यान्वित की जा रही हैं, उन सभी स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक कर दिया जाए।

4. स्कीम की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

Sd/-

उप सचिव

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

अशा0क्रमांक: 264-स.क.(1)-2021

दिनांक चण्डीगढ़ 04.06.2021

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/आडिट, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
3. समुक्त निदेशक (प्रशासन), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. समुक्त निदेशक (योजनाएं), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
6. सांख्यिकीय अधिकारी, अनुसंधान शाखा, मुख्यालय, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

Sd/-
उप सचिव

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा0 क्रमांक 1/37/2005-4एफ.जी-II/2215, दिनांक 28.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

Sd/-

उप सचिव

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग (एफ.जी-II)

अशा0क्रमांक: 264-स.क.(1)-2021

दिनांक चण्डीगढ़